



मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
म.प्र.मंत्रालय, वल्लभ भवन,

:: आदेश ::

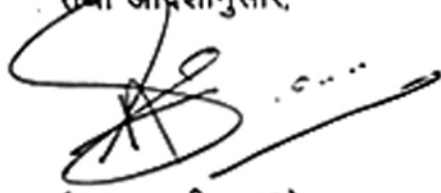
भोपाल, दिनांक : 7 नवम्बर, 2005

क्रमांक : एफ 5-2/2005/56 : राज्य शासन सदूर क्षेत्रों में नागरिकों को शासकीय सेवा प्रदान करने के लिए कार्यालयों में उपस्थित होने की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु mponline नामक पोर्टल विकसित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लेता है :-

1. mponline नामक पोर्टल विकसित किया जाए जिसके लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं टी.सी.एस. के मध्य एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी बनाई जाए।
2. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, अधिनियम, नियम एवं उनके संशोधनों को एम.पी. ऑन लाईन पर भी अपलोड किया जाए।
3. आम जनता को राज्य शासन द्वारा एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों / सेवाओं को सेवा प्रदायकर्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजीटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाये।
4. एम.पी. ऑन लाईन पर दी जाने वाली सेवायें सशुल्क होंगी तथा शुल्क का निर्धारण प्रमुख सचिव/सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा एवं इसके अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:- संयुक्त क्षेत्र की कंपनी के दो सदस्य, वित्त विभाग का प्रतिनिधि एवं उस विभाग का प्रतिनिधि जिसकी सेवा पोर्टल से प्रदाय की जाएगी।
5. संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये विभागों के लिये चिन्हित सेवाओं की जानकारी संबंधित विभाग उपलब्ध कराएगा तथा संयुक्त क्षेत्र की कंपनी द्वारा दर्शायी गई समयावधि में सेवा का विकास जाएगा। परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये विभाग संयुक्त क्षेत्र की कंपनी के साथ संलग्न परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रारूप अनुसार सर्विस लेवल एग्रीमेंट का निष्पादन करेंगे। सर्विस लेवल एग्रीमेंट के तहत प्रावधानित सेवाओं/जानकारियों को यथोचित समय पर अद्यतन (अपडेट) करना विभागों के लिए अनिवार्य होगा। एम.पी. ऑन लाईन द्वारा दिए गए सेवाओं के लक्ष्य एवं इसकी प्राप्ति के संबंध में चिन्हित सेवा के लिए जिम्मेदार विभाग के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा एवं यह अधिकारी सेवा के लिए लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होगा। इस अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में लक्ष्य एवं प्राप्ति का उल्लेख किया जाए।

6. एम.पी. ऑन लाईन परियोजना की समयावधि पोर्टल प्रारंभ होने की दिनांक से 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष के बाद समस्त सुविधा जिसमें हार्डवेयर, साफ्टवेयर, सोर्सकोड, मेन्युअल एवं डेटा सम्मिलित है राज्य शासन को अंतरित की जाएगी।
7. पोर्टल के सरवर के लिए मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मॉग अनुसार उपयुक्त कक्ष आवंटित किया जाए।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को करारनामा निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
9. जानकारी प्रदान करने एवं सेवा देने के लिए संयुक्त क्षेत्र की कंपनी द्वारा सूचना गुमटियां बनाई जायेगी। सूचना गुमटियों के संचालन के लिए अधिकृत व्यक्ति पर प्रस्तावित कंपनी पूर्ण नियंत्रण रखेगी एवं निर्धारित राशि से अधिक धन राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर ऐसी गुमटी का प्राधिकार निरस्त किया जाएगा एवं संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
10. राज्य शासन के विभाग यदि चाहे तो पोर्टल पर विज्ञापन दे सकेंगे। ऐसे शासकीय विज्ञापन को पोर्टल पर प्रदर्शित करने के संबंध में दरों का निर्धारण प्रमुख सचिव/सचिव सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जायेगा।
11. निजी क्षेत्र के विज्ञापनों को पोर्टल पर प्रदर्शित करने के संबंध में निर्णय प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाये।
12. सायबर ट्रैजरी के माध्यम से राज्य शासन को प्राप्त होने वाला भुगतान दिया जा सकेगा। वर्तमान में राज्य शासन को जिन सेवाओं से राजस्व की प्राप्ति होती है वह शुल्क राज्य शासन को सीधे सायबर ट्रैजरी के माध्यम से दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(अनुराग श्रीवास्तव)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक : एफ 5-2/2005/56 :

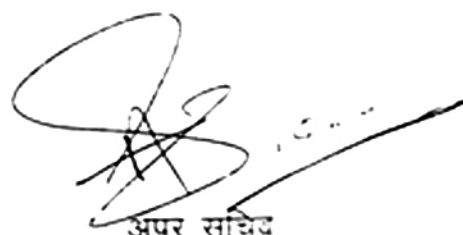
भोपाल, दिनांक : 7 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/परिवहन विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग/राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग/जेल विभाग/वन विभाग।

2. प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभाग, मध्यप्रदेश (स.क्र.1 को छोड़कर)
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल
4. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, भोपाल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
7. टाटा कन्सलटेन्सी सर्विस लिमिटेड, 11वीं मजिल, एयर इण्डिया बिल्डिंग, गरीमन पॉइन्ट, मुम्बई-400021

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित।



अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग